

# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण – गौतमबुद्ध नगर

कार्यालय – झाप (सार्वजनिक सूचना)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की पराविधिक स्वयं सेवक योजना (पी0एल0वी0 योजना) के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर हेतु जनपद गौतमबुद्धनगर में विभिन्न स्थलों पर विधिक सेवाओं सम्बन्धी कार्य किये जाने हेतु पराविधिक स्वयंसेवकों को नामित किया जाना है।

कौन आवेदन कर सकता है—

अंतिम तिथि—15-10-2021

—ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष) जोकि बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हो तथा उनके विधिक सहायता संबंधी कार्य करना चाहते है।

—शिक्षित हो, अधिमानतः हाईस्कूल या समकक्ष हो,

अधोलिखित समूह के अन्तर्गत आते हो,:-

- शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक सहित)
- सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक,
- सामाजिक कार्य में परास्नातक विद्यार्थी व शिक्षक,
- आंगनबाडी कार्यकर्ता,
- चिकित्सक
- छात्र और विधि छात्र (अधिवक्ता के रूप में पंजीयन तक),
- गैर राजनैतिक, सेवामुख संगठन (स्वयं सेवक समूह) एवं क्लब के सदस्य,
- मैत्री समूह आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर) जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण उचित समझे।

नोट:-

- पूर्व में चयनित पराविधिक स्वयं सेवक पुनः आवेदन दे सकते है, उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
- आवेदक अपने कार्य करने की रुचि जिला स्तर, तहसील स्तर या ग्राम स्तर पर करने की इच्छा या वरीयता दर्शायें।

सामान्य अनुदेश—

1. आवेदक स्थानीय व भारत का नागरिक हो।
2. शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
3. अच्छे चरित्र का हो तथा समाज सेवा में रुचि रखता हो।
4. ऐसे नागरिक जिनके खिलाफ कोई दण्डित वाद लम्बित हो अथवा किसी वाद में दण्डित हुये हो आवेदन करने के पात्र नहीं है।

पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्य तथा पारिश्रमिक—

— पराविधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिये पीडितो एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकरण के प्रबन्ध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा सौंपा जायेगा को करना है।

— पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्य के लिये कोई वेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी समय-समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय किये मानदेय के अलावा नहीं होता है।


आरक्षण—

चूकिं पराविधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है, तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है, परन्तु योजना के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

आवेदन भेजने का पता—

आवेदन विहित प्रपत्र में पूरी तरह भरकर तथा अपने शैक्षणिक एवं अन्य योगताओं का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों लगाकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थित दीवानी न्यायालय परिसर, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में कार्य दिवस पर स्वयं उपस्थित आकर अथवा पंजीयन डाक से दिनांक 15-10-2021 तक प्राप्त कराये जा सकते है, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक:23.09.2021

भवदीय  
  
(अशोक कुमार-सप्तम)  
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, 23/9/21  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि:

- 1- जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर/प्रमारी इलेक्ट्रानिक मीडिया/प्रमारी सोशल मीडिया/समस्त दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन करने हेतु।
- 2- अध्यक्ष, जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर को समस्त विद्वान अधिवक्तागण के मध्य परिचालन हेतु सूचनार्थ।
- 3- न्यायालय परिसर एवं बार एसोसिएशन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, समस्त तहसील परिसरों के सूचना पटों पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 4- वाह्य न्यायालय जेवर तथा जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु।